2002 में मंत्री समूह की सिफारिश पर गठित की गई थी डिफेंस इंटेलीजेंस एजेंसी। 1999 में कारगिल घुसपैठ के बाद खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए इस संस्था का विचार सामने आया था।

लोन के बदले में रिश्वत से राणा परिवार ने बनाई 4500 करोड़ की संपत्ति

यस बैंक घोटाला ▶ मुंबई में कूपर परिवार से जुड़े सात स्थानों पर सीबीआइ की छापेमारी

ईडी को मिली ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में भी बहुत संपत्ति होने की जानकारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मुंबई में रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। फाइल/प्रेट्र

लोन के बदले में रिश्वत लेने के आरोपों में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और उनके परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। सीबीआइ ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआइआर दर्ज करने के बाद कपूर परिवार के मुंबई स्थित सात ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सीबीआइ ने डीएचएफएल को दिए गए 4450 करोड़ रुपये के बदले में 600 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के मामले में एफआइआर दर्ज की है। लेकिन राणा कपूर के परिवार के सदस्यों के नाम केवल भारत में इसी तरह से बनाई गई 4500 करोड़ रुपये की संपत्तियों के सुबूत मिले हैं। कपूर परिवार के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में भी कई संपत्तियों का पता चला है।

सीबीआइ ने अपनी एफआइआर में राणा कपूर, उसकी पत्नी बिंदू कपूर और तीन बेटियों रोशनी कपूर, राखी कपूर टंडन व राधा कपूर खन्ना के साथ-साथ डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज राजेश कुमार वधावन और उनकी कंपनियों को आरोपित बनाया है। इस सिलसिले में सोमवार को जांच एजेंसी ने आरोपितों के ठिकानों की तलाशी ली। दक्षिण मुंबई में राणा कपूर परिवार की सात जगहों पर सीबीआइ की दस टीमों ने छापेमारी की।

सीबीआइ की एफआइआर के अनुसार 2018 में अप्रैल से जून के बीच यस बैंक ने डीएचएफएल के डिबेंचर्स में 3700 करोड़ का निवेश किया। इसके बदले में डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन ने 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। रिश्वत की रकम बिल्डर लोन के रूप में डीएचएफएल से डूइट (डीओआइटी) अर्बन वेंचर्स को दी गई। यह कंपनी पूरी तरह से राणा कपूर और उसकी बेटियों की है। डूइट अर्बन वेंचर्स एक दूसरी कंपनी आरएबी इंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी है। आरएबी इंटरप्राइजेस का 100 फीसद शेयर राणा कपूर की पत्नी बिंदू कपूर के पास है। वहीं डूइट अर्बन वेंचर्स के 100 फीसद शेयर उसकी तीनों बेटियों के पास हैं।

वधावन ने डकारे बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के 750 करोड़ रुपये : पूरी डील को असली दिखाने के लिए डूइट अर्बन वेंचर्स ने एक सस्ती-सी कृषि भूमि बंधक के रूप में दिखाई और बताया कि भविष्य में इस जमीन का उपयोग आवासीय रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। जाहिर है यस बैंक का डीएचएफएल के डिबेंचर में 3700 करोड़ रुपये का निवेश ही संदेह के घेरे में है। यही नहीं, डीएचएफएल ग्रुप की कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को यस बैंक ने बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के लिए 750 करोड़ रुपये का लोन दिया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक भी पैसा खर्च नहीं किया और पूरी रकम डीएचएफएल में ट्रांसफर कर कपिल वधावन ने हजम कर ली।

ईडी की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी : जांच अधिकारियों के अनुसार यस बैंक से डीएचएफएल में किए गए निवेश के बदले में 600 करोड़ रुपये की रिश्वत महज बानगी है। यस बैंक के दिए लगभग सभी लोन और निवेश के बदले में राणा कपूर ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम वाली कंपनियों में रिश्वत ली है और इसके सुबूत मिलने लगे हैं। इसलिए ईडी ने यस बैंक की ओर से विभिन्न कारपोरेट घरानों को दिए कर्ज की जांच का मन बना लिया है। राणा कपूर की पत्नी, बेटी व उनकी कंपनियों के केवल भारत में ही 4500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का पता चला है और ईडी उन्हें जब्त करने की तैयारी में है। राणा की खरीदी 44 कीमती पेंटिंग की भी जांच चल रही है। यस बैंक के सीईओ रवनीत गिल से मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई है।

दिल्ली में कई सौ करोड़ की कोठी भी राणा ने अपने नाम की : राणा कपूर परिवार के ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में कई संपत्तियों का पता चला है, जिसकी पुष्टि की जा रही है और उसकी कीमत का आकलन भी किया जा रहा है। दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर कई सौ करोड़ की कोठी यस बैंक के लोन की आड़ में राणा कपूर ने अपने नाम पर करवा ली थी। दरअसल एलएम थापर ने इस कोठी के एवज में यस बैंक से 600 करोड़ का लोन लिया था जो वह नहीं चुका सका। नियम के मुताबिक वह कोठी यस बैंक की होनी चाहिए थी लेकिन राणा ने अपने नाम कर ली। नीरव मोदी और विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई में देरी के लिए आलोचना झेल रही जांच एजेंसियों ने यस बैंक के मामले में पूरी तरह से चुस्ती दिखाई है।

कांग्रेस ने कहा-ध्यान भटकाने के बजाय पीएम बताएं कि बैंक क्यों डूब रहे हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को ध्यान भटकाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के पेंटिंग बेचने के मुद्दे की आड़ लेने के बजाय इसका जवाब देना चाहिए कि बैंक क्यों डूब रहे हैं। राजग सरकार के पिछले कार्यकाल में यस बैंक के दिए कर्जे में इतनी बढ़ोत्तरी कैसे हो गई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा, 'देश के इतिहास में पहली बार शेयर बाजार में 2,419 अंकों की गिरावट हुई और देश के निवेशकों का 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गया। आज एक डॉलर के मुकाबले में रुपया 74 रुपया 4 पैसे हो गया।' उन्होंने सवाल किया, 'मोदी जी की नाक के नीचे और अब इस सरकार की नाक के नीचे यस बैंक में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भी डूब गया। मोदी जी से सवाल केवल तीन हैं। यस बैंक कैसे डूबा? यस बैंक किसने डुबोया? मोदी सरकार क्या कर रही थी, क्या सो रही थी या यस बैंक डुबोने में साझेदारी कर रही थी?' सुरजेवाला ने कहा, 'असल सवाल यह है कि मार्च 2014 से मार्च 2019 के बीच में यस बैंक की लोन बुक, उसके द्वारा दिया जाने वाला कर्ज 55,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख 42 हजार करोड़ रुपये कैसे पहुंच गया?'

बंटी-बबली की जोड़ी हैं राबर्ट-प्रियंका : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : यस बैंक के गिरफ्तार हुए प्रमोटर राणा कपूर को 2 करोड़ रुपये की पेंटिंग बेचने के आरोप में घिरी प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति राबर्ट वाड्रा को भाजपा ने 'बंटी और बबली' करार दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह दोनों लोग दूसरों की संपत्ति से पैसा बनाने के तरीकों के माहिर हैं। भाजपा की ओर से कई नेताओं ने मिलीभगत, पेंटिंग के मालिकाना हक और राजनीतिक आदर्श का सवाल उठाया। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिंह राव ने सोमवार को कहा, 'प्रियंका के पति राबर्ट ने रहस्यमयी ढंग से रियल एस्टेट सेक्टर से पैसा कमाया तो प्रियंका वाड्रा ने राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाकर राणा कपूर को 2 करोड़ रुपये में वह पेंटिंग बेच दी जो वस्तुत: उनकी थी ही नहीं। वह कांग्रेस की प्रापर्टी थी क्योंकि यह उपहार कांग्रेस महाधिवेशन में दिया गया था।' उन्होंने प्रियंका के पति राबर्ट वाड्रा का नाम लेकर कहा कि उन पर पहले से ही गलत तरीके अपना कर संदिग्ध रियल एस्टेट टांजैक्शन से मुनाफा कमाने के आरोप लग चुके हैं। यह बंटी और बबली की जोड़ी है जो वित्तीय घोटाला करने वालों को राजनीतिक संरक्षण देती थी। गौरतलब है कि बंटी और बबली हिंदी फिल्म ऐसी जोड़ी पर आधारित थी जो लोगों को चूना लगाती थी। वहीं भाजपा के दूसरे प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने राजनीतिक आदर्श का सवाल उठाया।

जाल डालकर लंदन से वापस बुलाए गए थे यस बैंक के संस्थापक

जेएनएन, नई दिल्ली

यस बैंक को अपना 'बेबी' बताने वाले संस्थापक राणा कपूर आखिर ब्रिटेन से भारत क्यों लौटे थे। जबकि वह पिछले कई महीने से लंदन में ही डेरा जमाए हुए थे और भारत सरकार की 'पहुंच' से दूर थे। बताया जा रहा है कि उन्हें बड़ी ही चतुराई से वापस बुलाया गया और फिर उन पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा।

दरअसल पिछले साल यस बैंक में कई धांधलियां और अनियमितताएं सामने आने के बाद राणा कपूर को रिजर्व बैंक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब से सरकार भी लगातार इस निजी बैंक की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। केंद्र सरकार चाहती थी कि सैकड़ों लोगों की रकम एक और घोटाले में डूब न जाए, इसके लिए वह लगातार इस बैंक के पुनर्जीवन के लिए नए निवेशकों की तलाश कर रही थी। रिजर्व बैंक और सरकार को अपने इस लक्ष्य में कई दफा कामयाबी मिलते हुए भी नजर आई, लेकिन सब तय होने के बाद अचानक ही निवेशक बिदक जाते थे और करार नहीं हो पाता था। लेकिन फिर बाद में केंद्र सरकार को पता चला कि यह अड़चन कोई और नहीं बल्कि महीनों से लंदन में डेरा डाले राणा कपूर ही हैं। वह ऐसे किसी भी संभावित निवेशक को अपने संपर्कों के जरिये भड़का कर पीछे होने को मजबूर कर देते थे।

यह बात सामने आने पर भारत में बैठे राणा कपूर के सहयोगियों और हमदर्दों के बीच सरकार ने यह बात पहुंचा दी कि यस बैंक को फिर से स्थापित करने के लिए वह अब राणा कपूर की ही मदद चाहती है और वह उन्हें पैकेज डील के तौर पर फिर से यस बैंक का दारोमदार सौंप सकती है। इस बात की भनक लगते ही राणा कपूर को लगा कि उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है और वह इस योजना को अंजाम देने के इरादे से भारत लौट आए। लेकिन इस बीच देश की सभी जांच एजेंसियां सतर्क थीं और राणा कपूर की भारत वापसी के साथ ही उनके विदेश जाने के सभी कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए।

कुछ अरसे बाद जब राणा कपूर को समझ आया कि सरकार किसी भी हालत में यस बैंक की नई व्यवस्था में उन्हें शामिल नहीं करने वाली तो उन्होंने कुछेक बार सुरक्षा एजेंसियों के रडार से ओझल होने की कोशिश भी की। हालांकि उनकी ऐसी सभी कोशिशें नाकाम रहीं और अंततः वह पकड़े गए। केंद्र सरकार की अतिरिक्त सतर्कता से अब यश बैंक के संस्थापक राणा कपूर एक और नीरव मोदी और विजय माल्या बनने से रह गए।

केजेएस ढिल्लन बनेंगे डीजी डीआइए

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले साल सेना की 15वीं कार्प्स की रणनीतिक भूमिका में योगदान देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लन अब डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआइए) के महानिदेशक (डीजी) का पद संभालेंगे। वह डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (इंटेलिजेंस) के उप प्रमुख होंगे।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (इंटेलिजेंस) यानी डीसीआइडीएस का विभाग भी नवगठित सैन्य मामलों के विभाग के तहत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधीन आता है। 57 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन भारतीय सैन्य अकादमी के 1983 बैच के अफसर हैं। उन्होंने हाल ही में 15वीं कार्प का प्रभार लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को सौंपा है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन को यह प्रभार उन्हें पिछले कुछ सालों में उनके कुछ सफल मित्रवत अभियानों के संदर्भ में दिया गया है। वह जल्द ही अपना कार्यभार संभाल लेंगे। इस अभियान के तहत उन्होंने कश्मीर की मांओं को अपने लड़कों को आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के लिए रजामंद करने को कहा था। उन्होंने कश्मीर पर आधारित मित्रवत अभियान 'ऑपरेशन मां', 'तालीम से तरक्की' और 'हमसाया हैं हम' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

- डीसीआइडीएस के उप प्रमुख का कार्यभार जल्द संभालेंगे
- ऑपरेशन मां समेत कई मित्रवत सैन्य अभियानों के लिए विख्यात

कंवलजीत सिंह ढिल्लन फाइल फोटो। एएनआइ

पुलवामा के हमलावरों पर सौ घंटे में की थी कार्रवाई

पिछले साल फरवरी में लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन के 15वीं कार्प संभालने के लिए एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। तब राजपुताना राइफल्स से आए ले. जनरल ढिल्लन ने बड़े ही तालमेल के साथ अभियान छेड़े और घटना के 100 घंटे के अंदर ही सभी मुजरिमों का खात्मा कर दिया था। साथ ही नियंत्रण रेखा पर बढ़े तनाव पर भी निगरानी बढ़ा दी थी।

तीनों सेनाओं के लिए खुफिया सूचनाएं एकत्र करता है डीआइए

वह डीजी डीआइए और डीसीआइडीएस के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। यह संस्था तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए समग्र तकनीकी सूचनाओं के साथ ही खुफिया एजेंटों से सूचनाएं एकत्र करने का काम करती है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआइए) का गठन वर्ष 2002 में हुआ था। इसका गठन मंत्रि समूहों की सिफारिश पर हुआ था। चूंकि 1999 में कारगिल घुसपैठ के बाद खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। डीआइए सभी रक्षा संबंधी खुफिया जानकारियों के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह संस्था देशहित में तकनीकी सूचनाएं एकत्र करने के साथ ही उपग्रह से मिलने वाली जानकारियों का भी विश्लेषण करती है।

त्रिपुरा में 72 घंटे में 127 किमी सड़क बनाने का अभियान शुरू

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने 72 घंटे में 127 किमी ईंट की सड़क के निर्माण को लेकर अभियान की शुरुआत की। सौ. सूचना विभाग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास को गति देने का जुनून राज्य सरकारों में किस कदर है, इसका अंदाजा त्रिपुरा में सड़क निर्माण को लेकर छेड़ी गई एक अनूठी मुहिम से लगाया जा सकता है। एक जिले में 72 घंटे में 127 किमी ईंट की सड़क के निर्माण को लेकर अभियान शुरू किया गया है। मनरेगा के तहत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने रविवार को इसकी शुरुआत की। ईंट से बनाई जा रही इस सड़क से गांवों के बीच आवागमन और मजबूत होगा।

इस मुहिम में पश्चिम त्रिपुरा जिले में कुल 440 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सभी सड़कों का निर्माण मनरेगा व एफएफसी के जरिये किया कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को लेकर छेड़ी गई इस मुहिम से जिले में करीब डेढ़ लाख मानव दिवस भी सृजित होंगे। इसे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

दरअसल राज्य में बड़ी संख्या में छोटे गांव अभी भी सड़क संपर्क से वंचित हैं। ऐसे में इस खास मुहिम से सभी गांव आपस में जुड़ जाएंगे। इससे गांवों का विकास भी होगा। उनके मुताबिक, राज्य के दूसरे जिलों में भी सड़कों के निर्माण के लिए भी ऐसी ही मुहिम छेड़ी जाएगी।

ललित मोदी परिवार की लड़ाई में कोर्ट का हस्तक्षेप से इन्कार

नई दिल्ली, एजेंसियां : इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल के बहुचर्चित चेयरमैन रहे ललित मोदी और उनके परिवार के बीच केके मोदी ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने ललित मोदी से दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करने को कहा, जिसने मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई है।

शीर्ष अदालत में ललित मोदी की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करने को कहा, जहां मामला लंबित है और 27 मार्च को सुनवाई होनी है। पीठ ने कहा कि ललित मोदी मामले के जल्द निपटान के लिए हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में ललित मोदी की मां बीना मोदी की याचिका पर सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इससे पहले, एकल पीठ ने इस पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जिसके खिलाफ बीना मोदी ने खंडपीठ में अपील की थी।

ललित मोदी, बीना मोदी और उनके दो बच्चों चारू भाटिया और समीर मोदी के बीच सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में बीना, चारू और समीर मोदी ने यह दलील दी थी कि परिवार के सदस्यों के बीच एक ट्रस्ट डीड बना है और भारतीय कानून के मुताबिक केके मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट के विवाद को देश के बाहर मध्यस्थता के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है।

झटका

- शीर्ष अदालत ने ललित मोदी से वापस दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा
- सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है रोक

ललित मोदी फाइल फोटो

जस्टिस आलोक सिंह उत्तराखंड से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है। इन दो न्यायाधीशों में जस्टिस आलोक सिंह और जस्टिस एसएन सत्यनारायण शामिल हैं।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आलोक सिंह का इलाहाबाद और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसएन सत्यनारायण को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। कोलेजियम की बैठक में हुए इन फैसलों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई है। वेबसाइट पर अपलोड सूचना के मुताबिक, कोलेजियम की पांच मार्च को हुई बैठक में जस्टिस सिंह के स्थानांतरण की सिफारिश की गई। बयान में कहा गया है, 'सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 24 फरवरी को हुई बैठक में कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसएन सत्यनारायण को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।' प्रधान न्यायाधीश बोबडे के अलावा पांच सदस्यीय कोलेजियम में जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस आर. भानुमति शामिल हैं।

रेलवे लाइन के किनारे प्लास्टिक कचरे का ढेर निराशाजनक

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निकायों से कचरा हटाने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा
- आर्थिक इंसेंटिव के विकल्प पर विचार करने का सुझाव भी दिया

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बाहरी दिल्ली में रेलवे लाइन के दोनों तरफ भारी मात्रा में पड़े प्लास्टिक कचरे को गंभीरता से लिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार, नगर निकायों और पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) से इस कचरे को हटाने के लिए ठोस योजना बनाने को कहा है।

जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने स्थिति को दयनीय करार देते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह से कचरा जमा न होने पाए। पीठ ने सभी हितधारकों को संयुक्त बैठक करने और एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस कचरे को हटाने की विस्तृत कार्ययोजना बनाकर उसे अवगत कराने का निर्देश दिया।

पीठ ने 28 फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक है कि बाहरी दिल्ली में रेलवे लाइन के दोनों तरफ भारी मात्रा में कचरा पड़ा है और लोग वहीं झुग्गियों में रह रहे हैं। पीठ ने कहा, 'हम ईपीसीए, दिल्ली सरकार और अन्य नगर निगमों से रेलवे लाइन के दोनों तरफ से प्लास्टिक बैग, कचरे और अन्य बेकार सामग्रियों को मिलकर हटाने का आग्रह करते हैं।'

अदालत ने प्लास्टिक कचरा एकत्र करने पर इंसेंटिव योजना पर भी विचार करने को कहा, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में अपनाया गया है। हिमाचल में सरकार एक किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के लिए 75 रुपये देती है। पीठ ने सभी हितधारकों को 15 दिन के भीतर अपनी योजना की उसे जानकारी देने को कहा है। दिल्ली में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के सामने यह मुद्दा उठा था।

योजना

देश से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने की कवायद, तीन और वन्यजीव पार्कों पर भी है नजर, इनमें दो मध्य प्रदेश के

गुजरात का वेलावदर पार्क हो सकता है चीतों का ठिकाना

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

देश से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने की कवायद के बीच वन्यजीव विशेषज्ञ उसके लिए मुफीद ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। फिलहाल चीतों के लिए जो सबसे उपयुक्त ठिकाना पाया गया है, वह गुजरात का वेलावदर नेशनल पार्क है। इसकी पहचान अभी ब्लैक बक (काला हिरण) अभयारण्य के रूप में है, जो चीतों का सबसे पसंदीदा भोजन भी है। ऐसे में इसे चीतों का नया ठिकाना माना जा सकता है। हालांकि, इसके अलावा नजरें कुछ और अभयारण्यों पर भी हैं। इनमें दो मध्य प्रदेश के भी हैं।

इस बीच, देश में चीतों को फिर से बसाने के लिए वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. एमके रंजीत सिंह की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने छह मार्च को अपनी पहली बैठक की। यह बैठक नेशनल टाइगर कनजर्वेशन अथारिटी (एनटीसीए) के मुख्यालय में हुई है। इसका मुख्य फोकस चीतों के उपयुक्त ठिकाने को लेकर ही था। इस दौरान चीतों के लिए सभी उपयुक्त अभयारण्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही एनटीसीए से इन सभी का ब्योरा भी मांगा गया। सूत्रों की मानें तो योजना के तहत कुल 20 चीते नामीबिया से लाए जाएंगे। हालांकि, पहली खेप में सिर्फ तीन से चार ही लाए जाएंगे।

योजनाबद्ध तरीके से नामीबिया से भारत लाए जाएंगे 20 चीते। प्रतीकात्मक

सूत्रों की मानें तो चीतों की पसंद को देखते हुए फिलहाल जिस अभयारण्य को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, उनमें गुजरात का वेलावदर नेशनल पार्क शामिल है। यह पार्क समतल है और इसमें एक अच्छा ग्रासलैंड मौजूद है, जो दौड़ भरने के लिए उपयुक्त है। साथ ही यहां चीतों का सबसे पसंदीदा भोजन ब्लैक बक भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसके साथ ही जिन और अभयारण्यों पर फोकस किया गया है, उनमें मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर और नौरादेही अभयारण्य शामिल हैं। इनमें कूनो पालपुर चीतों के लिए ज्यादा मुफीद है, लेकिन कई वन्यजीव विशेषज्ञ और स्थानीय लोग वहां चीतों को बसाने का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसे एशियाई सिंहों के लिहाज से विकसित किया गया है। इसके साथ ही इसका विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

वहीं नौरादेही अभयारण्य के आसपास गांवों की मौजूदगी भी चिंता पैदा कर रही है। वैसे भी कूनो में गांवों के विस्थापन का दंश झेल चुकी सरकार इसमें नहीं फंसना चाहती है। इसके साथ ही राजस्थान के जैसलमेर के शाहगढ़ पर भी फोकस किया जा रहा है। फिलहाल इसे लेकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा। वन्यजीवों के रहवास को लेकर दुनियाभर के अध्ययन पर भी नजरें दौड़ाई जा रही हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी